संख्या-12/2017/634/18-4-2017-21(विविध)/14

प्रेषक,

राम निरंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 21 जून,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-20/4-वित्त/5मा0बजट/मांग/2017-18, दिनांक 01-5-2017 एवं पत्र संख्या-33/4-वित्त/बजट/मांग/2017-18, दिनांक 05-6-2017 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014" योजनान्तर्गत निम्नांकित कार्यो के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़) मात्र के सापेक्ष प्रथम 05 माहों के लिए रू0 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	प्रथम 5 माहों के लिए स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	**प्रदेश के हस्तशिल्पियों के लिए डेटाबेस बनाये जाने हेतु**	**100.00**	**40.00**
2	**प्रदेश के विशिष्ट हस्तशिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु भौगोलिक सूचकांक दिलाये जाने के सम्बंध में**	**25.00**	**10.00**
3	**हैण्डीक्राफ्ट के प्रचार-प्रसार एवं ब्राण्ड प्रमोशन के प्रयाशों के लिए जनपदीय/मण्डलीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं वायर सेलर मीट के आयोजन एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र से जुडे डिजाइनरों हेतु 6 मेलों के लिए**	**75.00**	**30.00**
	कुल योग-	**200.00**	**80.00**

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य हेतु किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

4- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा। तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

7- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी,2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014 की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

9-स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-10-"उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014-20-सहायता-अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी,2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-634/(1)/18-4-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम निरंजन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in